मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0नं0–0999/2019 डा0 अजय कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में तथ्यात्मक एवं कृत कार्यवाही की अन्तरिम आख्या।

प्रश्नगत योजित याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा रामपुर पावटी एवं शोभापुर में प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत स्टेडियम, पार्क, ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस एवं ग्रीन वर्ज में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर कार्यवाही के आदेश के अनुपालन में निम्नवत् तथ्यों से अवगत कराना है:–

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना–2021 में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका, कीडा स्थल, महायोजना मार्गों को समस्त राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले भूमि खसरा संख्याओं को सजरा प्लान पर सुपरइम्पोज करते हुए समस्त उप निबंधक, स्टाम्प व निबंधन विभाग, जनपद मेरठ एवं जिलाधिकारी, मेरठ को इस आशय का अनुरोध पत्र दिनांक 23–06–2020 को प्रेषित किया गया है कि भूमि कय विकय के समय निष्पादित किये जाने वाले अभिलेख/विकय विलेख में गाटा संख्या, ग्राम, तहसील, जनपद, विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र एवं महायोजना में चिन्हित भू–उपयोग को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक : 2582/शि0का0लख0/2020 विविध (आर0के0एस0) दिनांक 27–11–2020 के द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन हेतु समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 समस्त उपनिबंधक, उ0प्र0 को विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित **पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग के भू–उपयोग के विरूद्ध अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक–थाम हेतु** विकय विलेख में निम्नवत् विवरण को अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने का निर्देश दिये गये हैं:–

(क) गाटा संख्या, ग्राम, तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जाये।

(ख) विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित होने की दशा में सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र का नाम अंकित किया जाये।

(ग) सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, कीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाये।

उक्त ग्रामों में निर्मित एवं निर्माणाधीन निर्माणों को चिन्हित करते हुए नियमानुसार उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत सर्वप्रथम मुख्य मार्गों एवं चौराहों के समीप चिन्हीकरण का कार्य किया गया। लगभग 250 से अधिक निर्माणों को चिन्हित करते हुए इनमें से 185 निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। शेष 65 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत सुनवाई की जा रही है।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण निर्माणों का स्थलीय चिन्हीकरण का कार्य अभी पूर्ण रूप से सम्पन्न नही हो पाया है। वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध होने पर दिनांक 24–11–2020 को लगभग 20 निर्माणों को चिन्हीकरण उपरान्त ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण उपरान्त क्षेत्र में जनसामान्य के व्यापक विरोध एवं धरना–प्रदर्शन प्रारम्भ होने के कारण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही स्थगित करनी पडी। पुनः दिनांक 16–01–2021 को चार निर्माणों को सील किया गया। यहां यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त चिन्हित निर्माणों के विरूद्ध पारित किये गये सील/ध्वस्तीकरण आदेशों के विरूद्ध पक्षकारों द्वारा न्यायालय आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ मण्डल, मेरठ में 61 अपील वाद योजित किये गये हैं, जोकि वर्तमान में विचाराधीन हैं। अपील में प्राधिकरण की ओर से अपना पक्ष रखते हुए प्रभावी पैरवी की जा रही है।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा भी खुले स्थल, कीडा स्थल, ग्रीन वर्ज आदि स्थानों पर रजिस्ट्री के सम्बन्ध में एवं प्राधिकरण स्तर पर उक्त स्थलों पर मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पाये इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। ध्वस्तीकरण हेतु आगामी निर्धारित तिथियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की उपलब्धता होने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 8/01/2021

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 1268/प्र.रि.मे.वि.प्रा./2020 दिनांक : 23/6/2020

प्रेषक,

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

समस्त उपनिबन्धक,
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग,
जनपद—मेरठ।

विषयः—भूमि के क्रय—विक्रय के समय निष्पादित किये जाने वाले अभिलेख में कतिपय विवरण सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 169/आठ—3—20—206 विविध/18 टी.सी. दिनांकः 19.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल हरित पटिटका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग में भू—उपयोग के विरूद्ध अवैध निर्माण पर प्रभावी रोकथाम हेतु विक्रय विलेख में निम्नवत् विवरण को अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना आवश्यक हैः—

(क) गाटा संख्या, ग्राम, तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जाये।

(ख) विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित होने की दशा में सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र का नाम अंकित किया जाये।

(ग) सम्बन्धित भूमि के गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू—उपयोग पार्क, खुले स्थल, हरित पटिटका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू—उपयोग अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

उक्त प्रस्तर—ग में उल्लेखित भू—उपयोग के विरूद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदांयी होगा, की सहमति अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।

इस सम्बन्ध में आपको प्राधिकरण के पत्रांक संख्याः 07/मु0न0नि0/19 दिनांकः 17.03.2020 के द्वारा सूचना प्रेषित की जा चुकी थी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि मेरठ महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पटिटका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग भू—उपयोग को सुपरइम्पोज करने की कार्यवाही की जा रही है। चूँकि अब यह कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। अतः ऐसे ग्रामों की खसरावार सूची जिसमें प्रस्तावित महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पटिटका (ग्रीन वर्ज), क्रीडा स्थल प्रस्तावित किये गये है कि नियत प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

सचिव 23/6/2020
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः—

1. जिलाधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को अवलोकनार्थ।
3. सहायक महानिबन्धक, मेरठ को सूचनार्थ।
4. जिला रजिस्ट्रार/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ को सूचनार्थ।

सचिव 23/6/2020
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ महायोजना–2021 के ब्रॉड भू–उपयोग के अनुसार प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग से प्रभावित खसरा संख्याओं का विवरणः–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या
1	जटौली, तहसील सरधना जिला–मेरठ	1431आं, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436आं, 1437आं, 1438आं, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444आं, 1445आं, 1446, 1447आं, 1448आं, 1451आं, 1452, 1453, 1454आं, 1461आं, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470आं, 1484आं, 1495आं, 1496आं, 1497 से 1505 तक, 1506आं, 1820आं, 1821आं, 1822आं, 1823आं, 1824 से 1830 तक, 1831आं, 1842आं, 1843 से 1846 1847आं, 1848आं, 1849, 1850, 1851, 1852आं, 1853 से 1857 तक, 1858आं व 1859आं
2	दांतल, तहसील व जिला–मेरठ	33आं, 34आं, 35आं, 183आं, 184आं, 185 से 190, 191आं, 192 से 194, 195आं, 197आं, 198आं, 223आं, 224आं, 225आं, 226 से 291 तक, 294आं, 295आं, 296आं, 338आं, 364आं, 365आं, 368आं, 369आं, 418आं, 419आं, 420, 421, 422आं, 423आं, 424 से 438 तक, 439आं, 440आं, 462आं, 463 से 482 तक, 489, 490, 491, 492आं, 493आं, 523 से 530 तक, 531आं, 532, 533आं, 534आं, 535 से 537 तक, 538आं, 544आं, 545आं, 547आं, 551आं, 552आं, 620आं, 621आं, 623आं, 624 से 634 तक, 635आं, 637आं
3	महिउददीनपुर ललसाना तहसील व जिला–मेरठ।	50आं, 56आं, 57आं, 58 से 68 तक, 69आं, 70 से 85 तक, 86आं, 87, 88, 89आं, 90आं, 134आं, 136आं व 137आं, 407आं, 408, 409आं, 410, 411आं व 412
4	सलारपुर जलालपुर तहसील व जिला–मेरठ।	131आं, 132आं, 133आं, 134आं, 135 से 142, 143आं, 144आं, 206आं, 207 से 210, 211आं, 216आं, 217आं, 218आं, 219आं, 222आं, 669आं, 670 से 694 तक, 695आं, 696, 697, 698आं, 701आं, 702 से 729 तक, 730आं, 731आं, 732आं, 733आं, 763आं, 764, 765आं, 766 से 775 तक, 776आं, 777, 778आं, 779, 780, 781आं, 782आं, 790आं, 791आं, 794आं, 795आं, 796, 797आं, 1041आं, 1042आं, 1043आं
5	मुजफ्फर नगर सैनी तहसील व जिला–मेरठ।	765आं, 766, 767आं, 774आं, 775आं, 776 से 795, 795/859, 796आं, 797, 798, 799आं, 800आं, 805आं, 811आं, 812, 813आं, 814आं, 815, 815/858, 816, 817, 818आं, 820आं, 821 से 857 तक
6	रामपुर पावटी, तहसील व जिला–मेरठ।	59आं, 60आं, 61, 62आं, 63आं, 64आं, 65आं, 66आं, 67 से 79 तक, 80आं, 81आं, 82आं, 83आं, 84आं, 85 से 92 तक, 93आं, 94आं, 95आं, 96आं, 97, 98आं, 118आं, 123, 124, 125आं, 126आं, 134आं, 135आं, 136आं, 137आं, 139आं, 318आं, 319, 320आं, 321आं, 322आं, 323 से 325 तक, 326आं, 327, 328, 329, 330आं, 331आं, 332, 333, 334, 335आं, 336आं, 341आं, 342, 343, 344आं, 345आं,
7	सौडपुर उर्फ पठानपुरा पोस्ट तहसील व जिला–मेरठ।	391, 392आं, 393आं, 394आं, 395आं, 396, 397, 398आं, 399, 400, 401, 402, 403आं, 404आं, 405, 406, 407आं, 408आं, 409आं, 410आं, 411 से 416तक, 417आं, 418आं, 419आं, 420 से 459तक, 460आं, 461आं
8	शोभापुर तहसील व जिला–मेरठ	217पार्ट, 218पार्ट, 219पार्ट, 220पार्ट, 221पार्ट, 223पार्ट, 225पार्ट, 226, 227पार्ट, 228 से 264 तक 265पार्ट, 266पार्ट, 267पार्ट, 291पार्ट, 292पार्ट, 293पार्ट, 294पार्ट, 295 से 298 तक, 299पार्ट, 300पार्ट, 301पार्ट, 302 से 480 तक, 481पार्ट, 482पार्ट, 483पार्ट, 500पार्ट, 501, 502पार्ट, 503 से 507 तक, 508पार्ट, 509पार्ट, 510पार्ट, 511, 512, 513, 514पार्ट, 515पार्ट, 50, 51, 52पार्ट, 57पार्ट, 58 से 61, 62पार्ट, 68पार्ट, 75पार्ट, 108पार्ट, 114पार्ट, 115पार्ट, 116पार्ट, 117पार्ट, 120पार्ट, 125पार्ट, 126, 127पार्ट, 128पार्ट, 129पार्ट, 130 से 135 तक, 136पार्ट, 137 से 140 तक, 141पार्ट, 142पार्ट, 144पार्ट, 145 से 149तक 150पार्ट, 151पार्ट, 747पार्ट, 750पार्ट, 751पार्ट, 752पार्ट, 753पार्ट, 756पार्ट, 757पार्ट, 760पार्ट, 761पार्ट, 765पार्ट, 766पार्ट, 767पार्ट, 832पार्ट, 839पार्ट, 851पार्ट, 852पार्ट, 853पार्ट, 854पार्ट, 855पार्ट, 856पार्ट, 857, 858, 859पार्ट, 860पार्ट, 861, 862, 865पार्ट, 866, 867पार्ट, 869पार्ट।

NGT Order/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपनिबन्धक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–2582/शि0का0लख0/2020 विविध (आर0के0एस0) दिनांक 27 नवम्बर,2020

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 380/2018 में पारित आदेश के कम में भूमि के क्रय विक्रय के समय निष्पादित किये जाने वाले अभिलेख में कतिपय विवरण सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या 1146/आठ–3–20–2006 विविध/18 टी0सी0 दिनांक 24.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 380/2018 पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 17.01.2020 को पारित आदेश के प्रभावी अंश को उल्लिखित करते हुए विकास प्राधिकरण तथा विनियमित क्षेत्र में प्रभावी महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग के भू–उपयोग के विरुद्ध अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक–थाम हेतु विक्रय विलेख में निम्नवत विवरण का अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है:–

(क) गाटा संख्या, ग्राम, तहसील तथा जनपद का नाम अंकित किया जाय।

(ख) विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित होने की दशा में सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र का नाम अंकित किया जाय।

(ग) सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू–उपयोग का अनिवार्य रूप से अंकन किया जाय।

किया जाता है एवं उपयुक्तानुसार सम्बन्धित विभाग (विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र) द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण का अंकन पंजीकृत होने वाले विलेखों में अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

27/11/2020

(मिनिस्ती एस0)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उपाध्यक्ष, समस्त बिकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. विहित प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

(मिनिस्ती एस0)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

SECURITY

मेरठ
ब्रेंड

ESCORTS
मेरठ

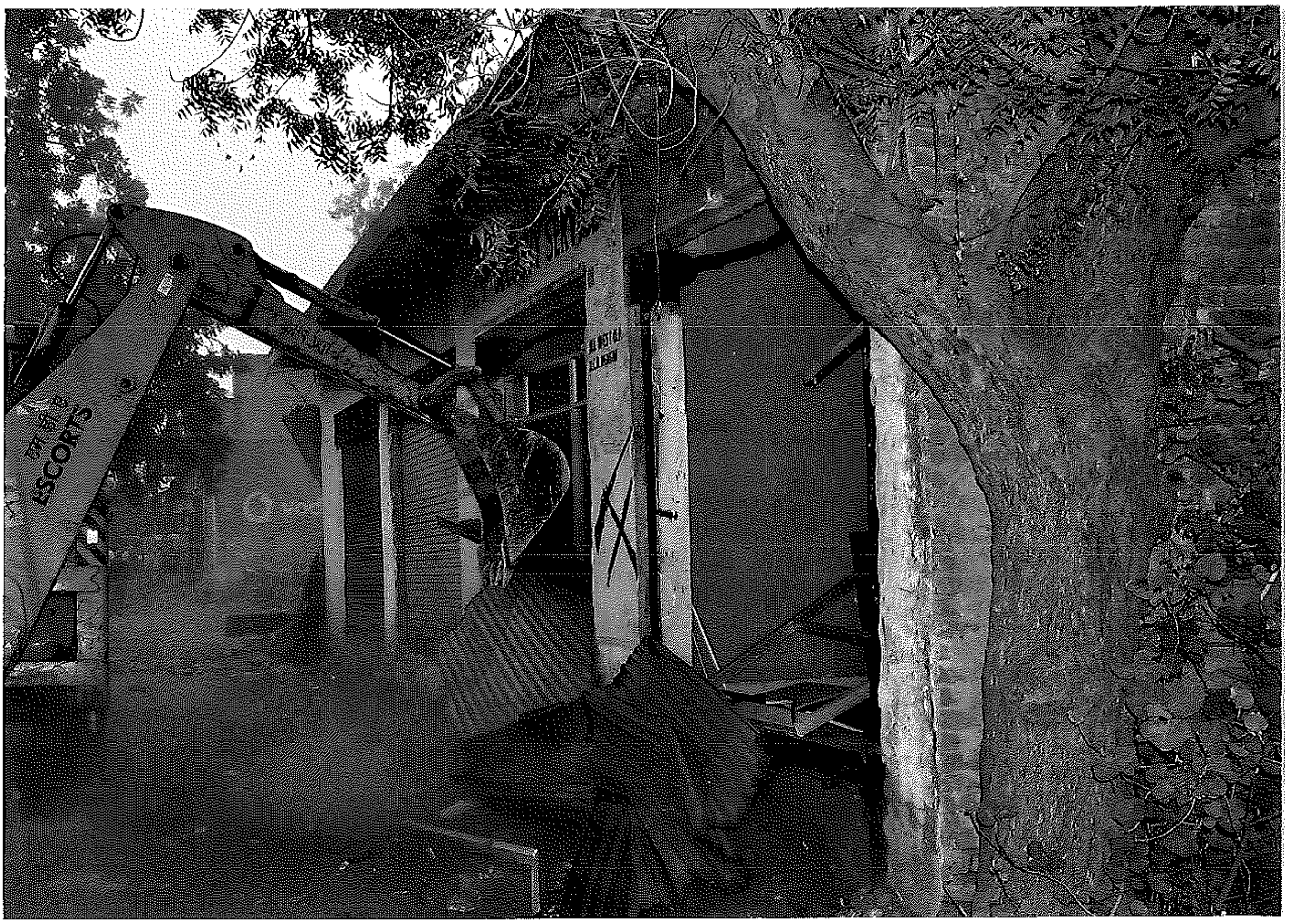
ESCORTS

ESCORTS
कैलाशी हॉस्पिटल
मेरठ की नं.1 किंग ब्रेड
कैलाशी हॉस्पिटल
24-11-2020